221

संख्याः– — /XIV–1/2011–5(49)/2010

प्रेषक,

आर0सी0पाठक,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून दिनॉक 29 नवम्बर, 2011

विषयः– राज्य के जनपद ऊधमसिंहनगर में संचालित एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु वर्ष 2011–12 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–2818/नियो0/आई0सी0डी0पी0–ऊधमसिंहनगर/ 2011–12 दिनांक 02 अगस्त, 2011 एवं वित्त विभाग के आदेश संख्याः–209 / XXVII (1)/ 2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, ऊधमसिंहनगर के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में ₹ 2,22,90,000/–(रूपये दो करोड़ बाईस लाख नब्बे हजार मात्र) की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त धनराशि की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार को की जायेगी। उक्त धनराशि आवश्यकतानुसार निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड द्वारा निर्दिष्ट कार्य में व्यय करने हेतु सम्बन्धित पी0आई0ए0/जिला सहकारी बैंक लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :–

1. स्वीकृत अंशपूजी, ऋण एवं अनुदान की धनराशि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा मूल रूप में स्वीकृत परियोजना में उल्लिखित शर्तो/मदों/लक्ष्यों के अनुसार व्यय की जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना के अन्तर्गत अब तक स्वीकृत सभी ऋणो की प्रतिपूर्ति हो चुकी है और उसे कोषागार के सम्बन्धित लेखा शीर्षक में जमा कर दिया गया है।
3. स्वीकृत मदों से विचलन/अनियमितता की स्थिति में परियोजना कियान्वयन सम्बन्धी अधिकारी उत्तरदायी होंगे। परियोजना का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत धनराशि के उपयोग की मदवार/लक्ष्यवार अद्यतन वित्तीय भौतिक प्रगति शासन को त्रैमासिक रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि, निगम की परियोजना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में व समय समय पर प्राप्त शर्तो के अनुरूप नियंत्रित होगी।
6. इन शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड की होगी।
7. आवश्यक उपयोग प्रमाण पत्र एवं इसकी सूचना यथा–समय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को तथा राज्य सरकार को त्रैमासिक रूप से अवगत कराना होगा और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि के उपयोग की कार्यवाही की जानी होगी।

8. स्वीकृत धनराशि किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग में नही लाई जायेगी। लेखा परीक्षण, मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड द्वारा भी किया जा सकता है।

2– इस शासनादेश के प्रस्तर–1 में निर्धारित विशिष्ट शर्तो तथा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31 मार्च, 2011 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उपर्युक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय व्ययक में सहकारिता विभाग के सम्बन्धित अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत निम्नलिखित शीर्षकों के नामें डाला जायेगाः–

लेखाशीर्षक	**स्वीकृत धनराशि (रूपये हजार में)**
2425– सहकारिता– आयोजनागत	
00–	
800– अन्य व्यय	
04– एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु अनुदान (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित)	
00–	
20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	5146
4425– सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय– आयोजनागत	
00–	
200– अन्य निवेश	
03– समितियो की अंशपूंजी में विनियोजन (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम)	
00–	
30– निवेश/ऋण	8123
6425– सहकारिता के लिये कर्ज–आयोजनागत	
00–	
800– अन्य कर्ज	
04– एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत ऋण (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित)	
00–	
30– निवेष/ऋण	9021
योग–	**22290**

(रूपये दो करोड बाईस लाख नब्बे हजार मात्र)

2. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता/अनुदान की धनराशि प्राप्तियां लेखाशीर्षक 0425–सहकारिता –800 –अन्य प्राप्तियां– 03– राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त अनुदान के अन्तर्गत एवं अंशधन व ऋण की धनराशि प्राप्तियॉ लेखाशीर्षक 30–लोक ऋण, 6003–राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण 108– राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज 18– सहकारिता के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः–218(P)/XXVII–4/2011 दिनांक 23 नवम्बर, 2011 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0सी0पाठक)
सचिव।

संख्याः–1849 (1)/XIV–1/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग–4/वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली।
5. प्रभारी अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।
8. जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।
9. सचिव/महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि0, ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।
10. क्षेत्रीय निदेशक, एन0सी0डी0सी0, देहरादून।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
उपसचिव।